7

स0सं0 3/विविध–01–24/2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

डा0 अंकिता झा,
चिकित्सा पदाधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
सरमेरा, नालंदा ।

पटना, दिनांक :

विषयः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जनता दरबार में समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में सूचना प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा आई0जी0आई0एम0एस0, पटना के द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट के चयन प्रकिया मे भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन विभाग में समर्पित किया गया है ।

02. विदित हो कि विभागीय संकल्प सं0 508(3) दिनांक 05.06.2026 से बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु दिशानिर्देश निर्गत किया गया है जिसमें उल्लेखित है कि चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात कम से कम पॉच वर्षो तक बिहार राज्य के बाहर पुनः सीनियर रेजिडेंट/टयूटर के लिए अनापत्ति नहीं दिया जाएगा।

03. तद्नुसार, आपके आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा 2022–2025 सत्र में आई0जी0आई0एम0एस0, पटना से पी0जी0 अध्ययन अर्थात उच्चतर अध्ययन किया गया है। जिसके कारण आप विभागीय संकल्प सं0 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका–5(ग)(iii) में अंकित शर्तों के अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं। अतः आपका आवेदन विचार योग्य नहीं है । साथ हीं आपके द्वारा पूर्व में उक्त प्रायोजन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर लिए गए विभागीय निर्णय अनुलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है ।

सूचनार्थ ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 618(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 14/7/26

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/7/26
सरकार के उप सचिव

D \Old System Data\New folder\2026\NOC Admision-02012026 docx-08072026